संख्या-391/2018/2575/22-2-2017-17(286)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममूर्ति पुत्र श्री दीनानाथ निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34202/प्रोबे0-5-दयायाचिका/404 दिनांक 20.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममूर्ति पुत्र श्री दीनानाथ, जो- रिछोला घासी, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा फसल खराब करने की रंजिश को लेकर दिनांक 02.07.1980 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाले एवं कांता से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-248ए/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 13.08.1981 द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील सं0-2762/1981 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.03.2010 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.01.2017 तक 09 वर्ष 06 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राममूर्ति (बन्दी संख्या-43504) पुत्र श्री दीनानाथ निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-391/2018/2575(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in